राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1429/2008/अलवर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, वृत–अ, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स अजन्ता सोया लिमिटेड, अलवर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री डी. कुमार, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 12/05/2015

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 201/उपा–भरत/07–08/आरएसटी में पारित किये गये आदेश दिनांक 18.01.2008 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, वृत–अ, उदयपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 30.10.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 28.10.2007 को वाहन संख्या जी.जे.–1–ए.टी.–7982 को उदयपुर में चैक किये जाने पर वाहन में **'650 कार्टन वनस्पति घी'** भिवाड़ी से बांसवाड़ा के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। माल प्रभारी/वाहन चालक द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित मैसर्स अजन्ता सोया लिमिटेड, भिवाड़ी, अलवर का इन्वॉयस कम गेटपास संख्या 3204 दिनांक 26.10.2007 एवं मैसर्स अग्रवाल ट्रांसपोर्ट कम्पनी, भिवाड़ी की बिल्टी संख्या 1289 दिनांक 26.10.2007 प्रस्तुत की गयी। वाहन की तलाशी लिये जाने पर वाहन में मैसर्स श्री श्याम रोड़लाईन्स अलवर की बिल्टी संख्या 1289 दिनांक 26.10.2007 पायी गयी, जिसमें 650 कार्टन वनस्पति घी मैसर्स कोठारी एन्टरप्राईजेज, हिम्मतनगर, गुजरात के लिये वहनित किया जाना पाया गया, उक्त बिल्टी पर वाणिज्यिक चैकपोस्ट शाहजहांपुर की मोहर अंकित करवायी गयी है, जिसमें माल भिवाड़ी से गुजरात जाने का

लगातार.....2

उल्लेख है। वाहन चालक ने अपने बयानों में बताया कि उसे मैसर्स श्री श्याम ट्रांसपोर्ट कम्पनी के कार्यालय से उक्त बिल्टी दी गयी है तथा यह निर्देशित किया गया है कि राजस्थान राज्य में चैकिंग होने पर भिवाड़ी से बांसवाड़ा की बिल्टी दिखानी है तथा माल का परिवहन हिम्मतनगर गुजरात के लिये किया जाना है। साथ ही मैसर्स श्री श्याम ट्रांसपोर्ट कम्पनी की बिल्टी में ओवरराईटिंग करके बिल्टी संख्या को 1289 किया गया है। उक्त दस्तावेजों एवं वाहन चालक के बयान के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन चालक/माल प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में मैसर्स अजन्ता सोया लिमिटेड, अलवर द्वारा स्वयं को पक्षकार बनाये जाने हेतु निवेदन किया तथा कथन किया कि उनके द्वारा माल मैसर्स कोठारी एन्टरप्राईजेज बांसवाड़ा के लिये भिजवाया गया था, जिसके समस्त कागजात वक्त जांच प्रस्तुत कर दिये गये थे, मैसर्स श्री श्याम रोड़लाईन्स की बिल्टी से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। सक्षम अधिकारी ने उक्त जवाब को अस्वीकार करते हुए मिथ्या एवं समानान्तर दस्तावेजों से माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन होना मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 1,38,810/— का आरोपण आदेश दिनांक 30.10.2007 से किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.2008 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि वक्त जांच वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित दोहरे एवं कूटरचित दस्तावेज पाये जाने के आधार पर माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों पर समुचित रूप से विचार किये बिना सक्षम अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने में विधिक भूल की गई है। विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त कथन के साथ राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि माल के साथ बिल व बिल्टी मौजूद थे। माल का परिवहन भिवाड़ी से बांसवाड़ा के लिये किया जा रहा था। नियमानुसार वैट वसूल किया हुआ था। प्रेषिति व्यवहारी मैसर्स कोठारी एन्टरप्राईजेज, बांसवाड़ा

लगातार.....3

द्वारा भी माल उसके द्वारा आयात किया जाना व कर जमा कराये जाने की जिम्मेदारी सम्बन्धी स्वीकारोक्ति की गयी है। मैसर्स श्री श्याम रोड़लाईन्स की बिल्टी से प्रत्यर्थी व्यवहारी का कोई सम्बन्ध नहीं है, इस बाबत स्पष्टीकरण सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया था, इसके बावजूद सक्षम अधिकारी द्वारा ट्रांसपोर्ट कम्पनी से किसी प्रकार की जांच किये बिना शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। प्रकरण में उनकी किसी प्रकार की करापवंचन की मंशा नहीं थी। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. इस प्रकरण में सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 28.10.2007 को वाहन चैक किये जाने पर परिवहनित माल से सम्बन्धित बिल व बिल्टी सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे, जिनमें किसी प्रकार की त्रुटि सक्षम अधिकारी द्वारा अपने आदेश में उल्लेखित नहीं की गई है। शास्ति का आरोपण इस आधार पर किया गया है कि वाहन की तलाशी में मैसर्स श्री श्याम रोड़लाईन्स, भिवाड़ी की बिल्टी संख्या 1289 दिनांक 26.10.2007 पायी गयी, जिसमें बिल्टी संख्या में ओवरराईटिंग/कांटछांट की गयी है तथा माल का विवरण बिल अनुसार ही है। इस प्रकार दोहरे दस्तावेजों से माल परिवहनित किया जाना अवधारित करते हुए शास्ति आरोपित की गयी है। उपरोक्त स्थिति में सक्षम अधिकारी का यह दायित्व था कि वे सम्बन्धित ट्रांसपोर्ट कम्पनी से आवश्यक जांच करते हुए यह प्रमाणित करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की मंशा से दोहरे दस्तावेज तैयार करवाये गये हैं। सक्षम अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से ऐसी किसी प्रकार की जांच किया जाना स्पष्ट नहीं होता है। प्रत्यर्थी व्यवहारी के स्तर पर वक्त जांच वांछित बिल व बिल्टी सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे, जिनके अनुसार माल का परिवहन भिवाड़ी से बांसवाड़ा के लिये किया जा रहा था। साथ ही प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब में मैसर्स श्री श्याम रोड़लाईन्स की बिल्टी से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं होना बताया गया। प्रेषिति व्यवहारी मैसर्स कोठारी एन्टरप्राईजेज, बांसवाड़ा द्वारा माल उसके द्वारा मंगाया जाना व देय कर राजकोष में जमा कराये जाने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति दी गयी है। ऐसी स्थिति में श्री श्याम रोड़लाईन्स की बिल्टी के आधार पर, जिसे कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सिरे से खारिज किया गया है, बिना किसी जांच के प्रत्यर्थी व्यवहारी पर वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत

लगातार.....4

शास्ति का आरोपण किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं माना जा सकता। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक स्थिति पर समुचित विचार करने के उपरान्त सक्षम अधिकारी का आदेश अपास्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलीय आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

7. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय आदेश दिनांक 18.01.2008 की पुष्टि की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी 12 अक्टू

(मनोहर पुरी)
सदस्य